विधायक काश्यप ने विधानसभा में पूछा सवाल

संबल के अपात्र व्यक्ति कलेक्टर को करें अपील, विस में जानकारी

रतलाम @ पत्रिका. संबल योजना के अपात्र हितग्राही अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारी कलेक्टर या उनके द्वारा नामांकित अपर कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। अपील का यह प्रावधान शासन द्वारा 12 फरवरी 2021 को जारी पत्र में किया गया है। यह जानकारी विधानसभा में विधायक चेतन्य काश्यप के सवाल के जवाब में श्रम एवं खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने दी।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के तहत वर्ष 2018-19 में 1 अप्रैल 2018 से यह योजना प्रारंभ हुई थी। रतलाम नगर निगम क्षेत्र के 38,646 हितग्राही पंजीकृत किये गए थे। राज्य शासन द्वारा 20 सितंबर 2019 को दिए गए निर्देश पर चिन्हित हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें 23,375 अपात्र घोषित किए गए। शासन द्वारा 12 फरवरी 2021 को दिए गए नए निर्देश के अनुसार अपात्र चिन्हित व्यक्ति या उनके विधिक उत्तराधिकारी पुनः सत्यापन के लिए कलेक्टर या उनके द्वारा नामांकित अपर कलेक्टर के यहां अपील कर सकते हैं। पत्रिका

संबल के अपात्र कलेक्टर के यहां अपील करें : विधायक के सवाल पर मंत्री का जवाब

भास्कर संवाददाता | रतलाम

संबल योजना के अपात्र हितग्राही अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारी जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित अपर कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। अपील का यह प्रावधान शासन 12 फरवरी 2021 को जारी पत्र में कर दिया गया है।

यह जानकारी विधानसभा में विधायक चेतन्य काश्यप के सवाल के जवाब में श्रम एवं खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के तहत वर्ष 2018-19 में 1 अप्रैल 2018 से यह योजना प्रारंभ हुई थी। रतलाम नगर निगम क्षेत्र के 38646 हितग्राही पंजीकृत किए गए थे। 2019 राज्य शासन द्वारा भौतिक सत्यापन करने पर 23375 अपात्र घोषित हुए थे। 12 फरवरी को जारी नए निर्देश में अपात्र चिह्नित व्यक्ति अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारी पुनः सत्यापन के लिए कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित अपर कलेक्टर के यहां अपील कर सकते हैं। पात्र पाए जाने पर योजना का लाभ लेने फिर से आवेदन कर सकेंगे।

भास्कर

कोरोना इफेक्ट : जनगणना मई से, पर 'घर में कितने सदस्य' जैसे सवाल अगले साल ही पूछने आएंगे

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली. केंद्र सरकार को कोरोना के चलते हर दस साल में होने वाली जनगणना प्रक्रिया को भी टालने के लिए मजबूर होना पड़ा है। नए कार्यक्रम के अनुसार अब पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया मई में पूरी होने के बाद देश में जनगणना के पहले चरण की शुरुआत होगी। हालांकि 'आपके घर में कितने सदस्य हैं?' और 'बीते दशक में कितने नए सदस्य जुड़े हैं' जैसे सवालों के लिए जनगणनाकर्मी आपके दरवाजे पर अप्रैल-2022 से पहले नहीं आएंगे। यही नहीं, अब यह सारी कवायद दो के बजाय अगले चार साल में फैल गई है। अंतिम डेटा 2024-25 में जारी होंगे।

शेष | पेज 9 पर

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–सिंघम टाइम्स–पृष्ठ 05.....दिनांक..15/03/...2021

श्रीजी व बालाजी डिस्पोजल से 374 किलो पॉलीथीन जब्त

सिंघम रिपोर्टर ❑
रतलाम

शासन निर्देषानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

धानमण्डी क्षेत्र में श्रीजी डिस्पोजल से 242 किलो व बालाजी डिस्पोजल से 132 किलो 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार स्पॉट फाईन द्वारा जब्त की जाकर संबंधितों पर 5000 व 3000 का जुर्माना किया।

इसके अलावा काटजू नगर क्षेत्र में अषोक माहेश्वरी द्वारा खुले में कचरा जाता है इसका विडियो निगम को प्राप्त होने पर स्पॉट फाईन दल द्वारा विडियो के आधार पर संबंधित के घर जाकर 500 रूपये का जुर्माना कर भविष्य में खुले में कचरा ना डालने की समझाईश दी।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जी, फल-फ्रूट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारों द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000/- रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।

अनुपस्थित 52 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

रतलाम। निगम के चारो झोन के वार्डो की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न वार्डो में 11 मार्च गुरूवार को बिना सूचना के 26 व 12 मार्च शुक्रवार को बिना सूचना के 26 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

सिंघम-15

51 किलो पालीथिन जब्त

रतलाम। 50 माइक्रान से कम मोटाई की पालीथिन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किए जाने के तहत कार्रवाई की जा रही है। निगम के अमले ने करमदी रोड क्षेत्र में नाकोड़ा ट्रेडर्स से 40 किलो व जावरा रोड क्षेत्र में अमित ट्रेडर्स से 11 किलो पालीथिन जब्त की और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना किया। इसके अलावा गंदगी करने व 50 माइक्रान की पालीथिन उपयोग करने पर चौपड़ा नमकीन हाकिमवाड़ा पर 3000, यश करमदी रोड पर 1000, साहू भाई करमदी रोड व राजकुमार डिस्पोजल धानमंडी, राहुल हरमाला रोड, कविता, ममता महलवाड़ा, कालूराम, अमित दीनदयाल नगर व दो अन्य पर स्पाट फाइन किया गया।

अग्निपथ

आरक्षण पर स्थगन से दो–तीन माह के लिए टल सकते हैं चुनाव

भोपाल (नईदुनिया स्टेट ब्यूरो)। नगर निगम के महापौर, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया पर स्थगन से निकाय चुनाव दो-तीन माह टल सकते हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि उच्च न्यायालय ने आरक्षण की रोटेशन पद्धति का पालन नहीं किए जाने को लेकर आरक्षण की अधिसूचना पर रोक लगाई है।

सरकार सभी पक्षों पर विचार करने के बाद उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने या अधिनियम में संशोधन करने के बारे में निर्णय लेगी। आरक्षण की प्रक्रिया को नये सिरे से करने में दो-तीन माह का समय लगेगा। इसके बाद ही चुनाव हो पाएंगे।

उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के निर्णय को लेकर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा में कहा कि वर्ष 1995 से जो आरक्षण हो रहा है, उस आधार पर ही आरक्षण हुआ था। बरसों से इसी आरक्षण पर चुनाव हो रहे हैं। उच्च न्यायालय ने रोटेशन पद्धति के बारे में कहा है। सभी पक्षों पर विचार करने के बाद सरकार निर्णय लेगी। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करने को लेकर विशेषज्ञों से अभिमत लिया जा रहा है। यदि अधिनियम में संशोधन करना होगा तो उस पर भी विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करने के बाद रणनीति तय की जाएगी। निकाय चुनाव कराए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि स्थगन होने के बाद पूरी प्रक्रिया को नये सिरे से करने में दो-तीन माह का समय लगेगा। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव करा सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है।

घर-घर जाकर बनवाई जाए मतदाता सूचीः उधर, विधानसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा ने नगर निगम चुनाव की मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची को संलग्न किया जाए। घर-घर जाकर मतदाता सूची बने। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी कहा कि लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची को आधार बनाना चाहिए। दस साल पहले जो आदमी मर गया, वह आज जिंदा दर्शाया जा रहा है। वहीं, 18-19 साल के युवाओं के नाम नहीं जोड़े गए हैं।

एक घर में माता, पिता, बेटा और बहू साथ-साथ रह रहे हैं, उन सभी को अलग-अलग मतदान केंद्रों में डाल दिया है। मतदाता सूची को घर-घर जाकर बनाया जाए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने मतदाता सूची का दोबारा पुनरीक्षण कराने की बात उठाई।

नईदुनिया

निगम चुनावः आरक्षण अधिसूचना में विसंगति पर हाई कोर्ट का स्टे

हातोद के वार्ड आरक्षण को दी थी चुनौती

भास्कर

भास्कर संवाददाता | इंदौर

हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के बाद इंदौर खंडपीठ ने भी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार द्वारा 10 दिसंबर 2020 को जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी है। इससे नगरीय निकाय चुनाव पर संकट के बादल नजर आ रहे हैं। हाई कोर्ट ने यह भी पूछा है कि रोटेशन पद्धति से आरक्षण क्यों नहीं किया जा रहा है।

जस्टिस सुजॉय पाल की अध्यक्षता वाली डिविजन बेंच ने यह फैसला दिया है। याचिका में उल्लेख था कि सरकार ने आरक्षण की प्रक्रिया में रोटेशन पद्धति का पालन नहीं किया। जबकि परिषद का कार्यकाल पूरा होने के बाद नए सिरे से आरक्षण करना होता है। इसमें रोटेशन पद्धति का ही सहारा लिया जाता है। हातोद

रोटेशन के उल्लंघन का आरोप

याचिका में आरोप था कि आरक्षण में रोटेशन पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया है। हातोद के कुछ वार्डों में लंबे समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि आबादी की स्थिति बदल चुकी है।

नगर परिषद के पार्षद रहे नरोत्तम चौधरी और सुरेंद्र वर्मा ने यह जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में यह भी कहा गया था कि हातोद के कुछ वार्ड दशकों से एक ही जाति के लिए आरक्षित हैं। जबकि उनमें जातिगत समीकरण काफी बदल गए हैं। गैर आरक्षित वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व का अवसर ही नहीं मिल रहा है। डिविजन बेंच को ग्वालियर खंडपीठ के आदेश की प्रति भी पेश की गई।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका- नोटा को ज्यादा वोट मिलें तो चुनाव रद्द किया जाए

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

भास्कर

देश में चुनाव के दौरान अगर किसी क्षेत्र में नोटा (नन ऑफ द अबव) को सभी उम्मीदवारों से ज्यादा वोट मिलें तो उस क्षेत्र का चुनाव रद्द किया जाए। इस मांग के साथ वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र व चुनाव आयोग को नोटिस जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं का विकल्प शामिल किया हुआ है।

लापरवाही से फिर बढ़ा कोरोना, अब रोज 600 सैंपल लेंगे

जिले की सभी चिह्नित संस्थाओं में 70 सैंपल का लक्ष्य, जिला अस्पताल और मेडिकल कालेज में प्रतिदिन 40-40 जांच करेंगे

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। लापरवाही और कोरोना से संबंधित लागू प्रोटोकाल के प्रतिबंधों में शिथिलता बरतने के कारण कोरोना का संक्रमण फिर बढ़ने लगा है और नए मरीजों में वृद्धि हो रही है। व्यवहारों में सामुदायिक स्तर पर उदासीनता देखी जा रही है, जो खतरनाक साबित हो सकती है। इस पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी निगरानी रखते हुए अब प्रतिदिन 600 सैंपल जांच का लक्ष्य तय किया गया है। अभी जिले की नौ संस्थाओं में सैंपल जांच हो रही है। जिला अस्पताल और मेडिकल कालेज में प्रतिदिन 40-40 आरटीपीसीआर और 30-30 आरएटी पद्धति से सैंपल जांच कराई जाएगी। इसी तरह अन्य आठ संस्थाओं में भी सैंपलिंग होगी।

यह निर्देश कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने मेडिकल कालेज की डीन, सीएमएचओ, सभी एसडीएम, सिविल सर्जन एवं सीएमओ व नगर निगम आयुक्त को दिए हैं। मालूम हो कि जिले में फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पाजिटिव रेट भी सात प्रतिशत से ज्यादा हो गया है। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि हर एक संस्था में 70 सैंपल लिए जाएं। ताल में 40 सैंपल का लक्ष्य रहेगा। फीवर क्लीनिक में पाजिटिव आए मरीजों के संपर्क वाले मरीजों के सैंपल तभी लिए जाएं जब एसपी 95 प्रतिशत से कम हो। पांच या इससे अधिक मरीज एक मोहल्ले में मिलने पर कंटेनमेंट एरिया बनाया जाएगा। निजी चिकित्सालयों, मेडिकल दुकानों पर भी नजर रखी जाए।

मेडिकल कालेज में कोरोना का टीका लगवाते विधायक चेतन्य काश्यप। ● नईदुनिया

28 केंद्रों पर 3478 ने लगवाया टीका, आज नहीं लगेगा

जिले में सोमवार को 28 केंद्रों पर 8080 कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य तय किया था, जिस पर 3478 लोगों को टीके लगाए गए। इसमें 2870 को पहली और 608 को दूसरी डोज दी गई। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले 2474 बुजुर्गों को टीका लगा। साथ ही 40 से 60 वर्ष की आयु के 343 और 70 स्वास्थ्यकर्मी एवं 538 फ्रंट लाइन वर्करों ने टीका लगवाया। सोमवार को एक बार फिर बाल चिकित्सालय में सर्वाधिक 583 टीके लगे। वहीं मेडिकल कालेज में 402 टीके लगे। इसी तरह अन्य केंद्रों में भी टीकाकरण हुआ, हालांकि कि लक्ष्य के अनुसार उपलब्धि कम रही। मंगलवार को टीकाकरण नहीं होगा।

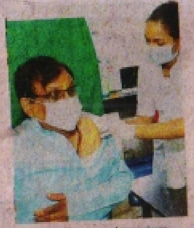

कोरोना का टीका लगवाते हुए सांसद गुमानसिंह डामोर।

390 रिपोर्ट में 25 पाजिटिव मिले, 155 मरीज एक्टिव

जिले में फरवरी में जिस गति से कोरोना के मामले कम हो रहे थे, अब मार्च में उसी गति बढ़ रहे हैं। सोमवार को भी 390 रिपोर्ट में 25 नए मामले मिले, जिसमें मेडिकल कालेज और रैपिड एंटीजन के मरीज शामिल हैं। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ते हुए 4610 पहुंच गया और आठ नए डिस्चार्ज होने पर 4371 स्वस्थ हो गए। साथ अब तक 84 की मौत हुई, जिसमें दो मौत मार्च की हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 155 पहुंच गई है जो एक मार्च को 43 थी। 15 दिन में तीन गुना मरीज एक्टिव हो गए हैं। वहीं 15 दिन में 183 नए मामले मिले और 62 स्वस्थ हुए हैं। 24 घंटे में शहर के कस्तूरबा नगर, सेफी नगर, अलकापुरी, सुयोग परिसर, डोंगरे नगर, प्रताप नगर, राजटावर स्टेशन रोड, राजीव नगर, अंबिका चौक, इंद्रलोक नगर, गणेश नगर, रेलवे कालोनी, चौमुखी पुल, बैंक कालोनी और जावरा, नामली से मरीज मिले हैं।

सांसद और विधायक ने लगवाया कोरोना टीका

देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान में सोमवार को विधायक चेतन्य काश्यप शामिल हुए। उन्होंने मेडिकल कालेज पहुंचकर कोरोना वैक्सीन लगवाई। इससे पहले उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण कराया था। इस दौरान कालेज की डीन डा. शशि गांधी, अधीक्षक डा. जितेंद्र गुप्ता, जिला टीकाकरण अधिकारी डा. वर्षा कुरील आदि मौजूद रहे। इसी प्रकार सांसद गुमानसिंह डामोर द्वारा भी कोरोना का टीका लगवाया गया।

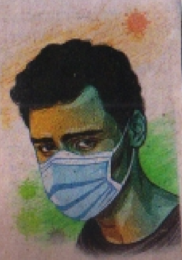

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–पत्रिका----पृष्ठ 07 दिनांक 16/03/2021

फिर टूटी पेयजल पाइप लाइन

रतलाम. शहर में चल रहे सीवरेज कार्य के दौरान एक माह में चौथी बार पेयजल पाइप लाइन जवाहर नगर में टूटी है। इससे पेयजल आपुर्ति में बाधा हुई है। अब आमजन इस पाइप लाइन के जुड़ने का इंतजार कर रहे है। करीब तीन दिन पूर्व जवाहर नगर में पेयजल पाइप लाइन टूटी थी, जिसका सुधार कार्य हुआ था। सोमवार को फिर से लीकेज शुरू हो गया है। रहवासियों ने समाधान की मांग की है।

अनुपस्थित 32 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

रतलाम। निगम के चारों झोन के वार्डों की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न वार्डों में 13 मार्च शनिवार को बिना सूचना के 22 व 14 मार्च रविवार को बिना सूचना के 10 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थायी कर्मचारियों को निलंबित किए जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

728 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम। नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्रि में भी मवेशियों को पकड़ा जाएगा, क्योंकि मवेशी पालकों द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे शहर में गंदगी होती है।

प्रसारण

आज चौमुखी पुल प्याऊ के पास निगम का बकाया वसूली शिविर

रतलाम | संपत्ति व जलकर सहित अन्य शुल्क जमा करने के लिए 16 व 17 मार्च को वार्ड 43 व 45 के लिए नगर निगम का वसूली शिविर चौमुखीपुल प्याऊ के पास लगेगा। इसी प्रकार वार्ड 41 के लिए 18 से 19 मार्च को बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड 33, 34 व 35 के लिए 20 व 22 मार्च को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास शिविर लगेगा। आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि 18 जनवरी से लग रहे शिविरों में अब तक 5264144 रुपए का संपत्तिकर व 1189835 रुपए का जलकर प्राप्त हुआ है। शिविर 27 मार्च तक लगाए जाएंगे।

32 सफाई कर्मचारियों का वेतन काटा

रतलाम | निगम के चार जोन में सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान बिना सूचना के 32 सफाई कर्मचारी गैर-हाजिर मिले। रिपोर्ट मिलने पर आयुक्त सोमनाथ झारिया ने एक दिन का वेतन काटने, अस्थाई कर्मचारियों को बर्खास्त और स्थाई को निलंबित करने का नोटिस जारी किया है।

भास्कर

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–प्रसारण---पृष्ठ 03 दिनांक 16/03/2021

वार्ड क्रमांक 20 व 44 को भी बनाया जीरो वेस्ट वार्ड

- नगर के वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने का कार्य निरंतर जारी
- जीरो वेस्ट वार्ड बनाने में नागरिकों का मिल रहा भरपूर सहयोग

प्रसारण न्यूज • रतलाम

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर को जीरो वेस्ट बनाये जाने के तहत वार्ड क्रमांक 3, 7, 8, 14, 17, 18, 19 व 41 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है वहीं स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मिलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी हुआ। नगर के वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत 15 मार्च सोमवार से वार्ड क्रमांक 20 व 44 को भी जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जाकर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

जीरो वेस्ट वार्ड 3, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 41 व 44 में 2-2 कचरा संग्रहण वाहन बिना हैल्पर के पहुंचे वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पिकर्स महिला, आई.ई.सी. टीम के सदस्य, वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरों पर जाकर नागरिकों से गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित किये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटनी कर एकत्रित किया गया।

गंदगी का मुख्य कारण है पॉलीथीन इसलिये 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को पूर्णतः बंद किया जाना है इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, स्पॉट फाईन दल यह निगरानी रखें कि इसका भण्डारण कहां होता है व विक्रय कौन कौन करता है सही जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित की पॉलीथीन जब्त की जाकर फुटकर व्यवसायियों पर 50 व दुकानदारों पर 5000 का स्पॉट फाईन किया जाये।

नाकोड़ा व अमित ट्रेडर्स से 51 किलो पॉलीथीन जब्त

रतलाम। शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किए जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। करमदी रोड़ क्षेत्र में नाकोड़ा ट्रेडर्स से 40 किलो व जावरा रोड़ क्षेत्र में अमित ट्रेडर्स से 11 किलो 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्पॉट फाईन द्वारा जब्त की जाकर संबंधितों पर 5000- 5000 रूपए का जुर्माना किया। इसके अलावा गंदगी करने व 50 माईक्रॉन की पॉलीथीन उपयोग करने पर चौपड़ा नमकीन सकनवाड़ा पर 3000, यश करमदी रोड़ पर 1000, साहू भाई करमदी रोड़ व राजकुमार डिस्पोजल धानमण्डी पर 500-500, राहुल रूमाला रोड़ पर 250, कविता, ममता महलवाड़ा, कालूराम, अमित दीनदयाल नगर व दो अन्य पर 100-100 रूपए का स्पॉट फाईन किया गया। उक्त स्पॉट फाईन की कार्यवाही में कुल 73 किलो पॉलीथीन जब्त की गई। जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी किरण चौहान व पर्वत लड्डे, उप स्वच्छता निरीक्षक विराट मेहता के अलावा मनोज टांक, पवन झांझोट, आकाश शिन्दे, राकेश ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किए जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

ईश्वर नगर के रहवासियों को कचरा पृथक्कीकरण हेतु किया प्रेरित

नागरिकों ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण

रतलाम। भारत सरकार आवास और शहरी मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रदेश के नगरीय निकायों में स्वच्छता से संबंधित जनअभियान के तहत साप्ताहिक मेगा ईवेंट ''स्वच्छता संकल्प देश का, हर रविवार विशेष सा'' के तहत ईश्वर नगर के रहवासियों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु जागरूक किये जाने के लिये विभिन्न गतिविधियों को आयोजन किया गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 14 मार्च रविवार को ईश्वर नगर क्षेत्र में स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी पर्वत हाड़े, किरण चौहान व नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा साप्ताहिक मेगा ईवेंट ''स्वच्छता संकल्प देश का, हर रविवार विशेष सा'' के तहत '' अलग करो '' कचरा उत्सर्जन स्थल पर ही कचरा पृथक्कीकरण के बारे में नागरिकों को अवगत कराया गया। नागरिकों को कचरा पृथक्कीकरण के बारे में बताया गया कि गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल-सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टूटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिरिंज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरो व दुकानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देवें। इस अवसर पर स्वास्थ्य परीक्षण षिविर का आयोजन किया गया

216

योजना बनाने में हुई लापरवाही • हवाई सर्वे से बनाई योजनाएं, बीच में बदलने से जनता की परेशानी बढ़ी

सीवरेज की 4 साल में 178 किमी घटी लाइन, स्मार्ट सिटी में एक भी चौराहा नहीं संवरेगा

योजना बनाने में हुई लापरवाही, नगर निगम के अफसर चाहकर भी नहीं कर पा रहे ठेकेदार एजेंसियों पर कार्रवाई

भास्कर संवाददाता | रतलाम

शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करते हुए बनाई गई विकास की योजनाएं अधूरे में ही बदल गई हैं। डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया। काम के दौरान कमियां सामने आने पर अब बार-बार बदलाव करना पड़ रहे हैं। बात चाहे बरसाती नालों को पक्का करने की हो या सीवरेज सिस्टम और मिनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की। चार साल में एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है। नतीजा सड़कें खुदी होकर सारे काम अधूरे पड़े हैं जो जनता के लिए परेशानी बन गए हैं। नगर निगम के अफसर भी खिसियाए हुए हैं जो चाहकर भी सख्त कार्रवाई के बजाय सिर्फ नोटिस और चेतावनी देकर दिखावा कर रहे हैं। आइए जानें प्रमुख विकास योजनाओं की वास्तविकता और उससे उपजी शहर की जनता की परेशानी..

पहली : नाले तीन अब सिर्फ दो बरसाती नाले ही पक्के बनेंगे

• **यह बनी थी योजना :** 2016 में 26 बरसाती नालों को 23.66 करोड़ से पक्का बनाने की योजना थी। स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी ने सिर्फ तीन नालों के लिए 11 करोड़ रुपए मंजूर किए। इनमें गोमदड़े की पुलिया से ऊंकाला गणपति मंदिर, आबकारी चौराहा से मराठों का वास व सुभाषनगर से अमृतसागर तालाब तक का नाला शामिल था।

• **कितना बदलाव :** आबकारी से मराठों का वास तक 550 मीटर लंबा नाला प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया है। इस पर 63.58 लाख रुपए खर्च होना था। निगम का तर्क है कि यह नाला अभी काफी कुछ पक्का बना हुआ है। कुछ जगह से टूटा-फूटा है, जो 6 से 7 लाख के खर्च से ठीक हो जाएगा।

• **अभी क्या स्थिति :** चार में दो नाले पूरे पक्के नहीं बने। गोमदड़े पुलिया से ऊंकाला गणपति तक के 2600 मीटर लंबे नाले में से 1700 मीटर ही पक्का बना है। 900 मीटर बनना बाकी है। सुभाष नगर से अमृत सागर तालाब तक का 1400 मीटर नाला भी अब तक 650 मीटर ही पक्का बना है।

दूसरी: 178 किमी घट गई सीवरेज लाइन, एसटीपी भी दो बन रहे

• **यह बनी थी योजना :** जून 2017 में जब काम शुरू हुआ तक 452 किमी सीवर लाइन तथा इसके अलावा 14 किमी लंबी दो मुख्य लाइन डलना थी। यह मुख्य लाइन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) तक जाना थी। पानी साफ करने 6 स्थानों पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाना थे।

• **कितना बदलाव :** चार बाद अब सिर्फ 274 किमी लंबी सीवरेज लाइन ही डलेगी। मुख्य लाइन की लंबाई भी घटकर 11 किमी रह गई है। एसटीपी 6 से घटाकर दो कर दिए गए। बाकी चार की जगह पंपिंग स्टेशन बना रहे हैं। डेडलाइन 31 दिसंबर 2019 थी, जो चार बार बढ़कर अब जून 2021 हो गई है।

• **अभी क्या स्थिति :** 274 किमी सीवर लाइन में से 262.6 किमी डल चुकी है। करमदी रोड वाला एसटीपी 65 प्रतिशत ही बन पाया है, जबकि खेतलपुर वाला 95 प्रतिशत तैयार है। पांच पंपिंग स्टेशन में से एक भी पूरा नहीं हुआ है। मैन होल टेंडर से 195 अधिक लगभग 5223 और हाउस चैंबर टेंडर से 120 अधिक 11620 बन चुके हैं।

तीसरी : मिनी स्मार्ट सिटी में नहीं होगा चौराहों का सौंदर्यीकरण

• **यह बनी थी योजना :** 2018-19 में मप्र अरबन डेवलपमेंट कंपनी ने जो प्रोजेक्ट मंजूर किया था, उसमें 8 प्रमुख सड़कों को चौड़ी करके नई बनाने के साथ 7 प्रमुख चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जाना था। इसके अलावा 10 स्थानों पर एलईडी स्क्रीन भी लगना थी। पुलियाओं का चौड़ीकरण भी शामिल किया गया था।

• **कितना बदलाव :** सवा साल बाद हाल ही में संशोधित प्रोजेक्ट से चौराहों के सौंदर्यीकरण और दो प्रमुख सड़कों को हटा दिया गया है। इसके अलावा आनंद कॉलोनी और लोकेंद्र टॉकिज रोड की लंबाई घटाकर आधी कर दी गई है। एलईडी स्क्रीन भी अब शहर में सिर्फ दो जगह ही लगेगी।

• **अभी क्या स्थिति :** कृषि मंडी से फव्वारा चौक, शास्त्री नगर, आनंद कॉलोनी का काम बंद पड़ा है। अभी सिर्फ ऊंकाला रोड का काम चल रहा है। नई योजना में इनके सहित सभी बनने वाली 6 सड़कों की चौड़ाई 7 से बढ़ाकर 12 मीटर करने के साथ फुटपाथ और ड्रेन भी शामिल कर लिया गया है।

सीवरेज सिस्टम का काम अंतिम चरण में, जून तक खत्म नहीं होगा

धरातलीय स्थिति के चलते कई बार योजनाओं में बदलाव करना पड़ता है। आबकारी चौराहे से मराठों का वास वाला काफी कुछ पक्का बना हुआ है, जो मरम्मत कर ठीक किया जा सकता है, इसलिए अभी नहीं बना रहे। सीवरेज सिस्टम का काम अंतिम चरण में है, जून तक खत्म हो जाएगा। मिनी स्मार्ट सिटी में तीन सड़कों के काम जल्द शुरू कर देंगे। **सुरेशचंद्र व्यास,** सिटी इंजीनियर नगर निगम

सीवरेज प्लांट का विद्युतीकरण कार्य आज

रतलाम। नगर निगम द्वारा 16 मार्च को सीवरेज प्लांट का विद्युतीकरण का कार्य किया जाएगा। मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दोपहर 12:00 से शाम 06:00 तक 33 केवी धोलावड़ फीडर का विद्युत प्रदाय बंद रखा जाएगा। इस दौरान 33 केवी धोलावड़ फीडर पर मेंटेनेंस का कार्य भी किया जाएगा। कार्य के अनुसार समय कम या ज्यादा हो सकता है।